नोटिस

भारतीय रिज़र्व बैंक

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 45 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक लिमिटेड का यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ समामेलन संबंधी योजना का मसौदा तैयार किया है। उक्त अधिनियम की धारा 45(6)(बी) के अनुसार, मसौदा योजना को इन बैंकों के सदस्यों, जमाकर्ताओं या लेनदारों के सुझावों और आपत्तियों, यदि कोई हो, के लिए रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर डाला गया है। मसौदा योजना के संबंध में सुझाव और आपत्तियां उक्त अधिनियम की उप धारा (6) के खंड (बी) के तहत विचार हेतु प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विनियमन विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, सी-7, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई - 400 051 को शुक्रवार, 10 दिसंबर, 2021 को शाम 5.00 बजे से पहले भेजी जा सकती हैं या ईमेल की जा सकती है।

(नीरज निगम)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक,
विनियमन विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक,
सी-7, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई),
मुंबई - 400 051

दिनांक : 22 नवंबर, 2021